**फास्टैग हेतु नियम व शर्तें**

बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र द्वारा प्रदत्त फास्टैग सुविधा के लिए निम्नलिखित नियम और शर्तें लागू होती हैं। ये नियम व शर्तें ("नियम और शर्तें") बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई अन्य शर्तों के अतिरिक्त होंगी।

1. *परिभाषा*

इन नियमों और शर्तों में, जब तक कि इस विषय या संदर्भ के लिए कुछ प्रतिकूल न हो, निम्नलिखित शब्दों/ अभिव्यक्तियों के अर्थ निम्नानुसार होगें:

"बैंक" **से तात्पर्य बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और दोनों शब्दों को परस्पर इस्तेमाल किया जा सकता है।**

*"टैग"* ***या*** *"बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र टैग"* ***या "****महाराष्ट्र**फास्टैग****" से तात्पर्य बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा जारी फास्टैग है और इसका प्रयोग परस्पर किया जा सकता है।***

**"**संबद्ध**" से तात्पर्य बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सहायक कंपनी या होल्डिंग की किसी कंपनी को शामिल करने से है या इस खंड के प्रयोजन हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ आम नियंत्रण या नियंत्रण वाले किसी व्यक्ति को शामिल करने से है, जब किसी व्यक्ति के संबंध में व्याकरणिक विचरण के साथ "नियंत्रण" शब्द का उपयोग किया जाता है, तो इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रबंधन और नीतियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्देशित करने की शक्ति से है, चाहे वोट के स्वामित्व के माध्यम से प्रतिभूति, अनुबंध द्वारा या अन्यथा जो भी हो; और "व्यक्ति" से तात्पर्य एक कंपनी, निगम, साझेदारी, ट्रस्ट या किसी अन्य संस्था या संगठन या अन्य निकाय से है।**

"आवेदन" **या** "टैग आवेदन" **का तात्पर्य** **टैग जारी करने हेतु ग्राहक द्वारा बैंक को महाराष्ट्र को प्रस्तुत आवेदन है।**  आवेदन लिखित या ऑनलाइन रूप में होगा और बैंक के महाराष्ट्र द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार होगा तथा इन नियमों और शर्तों का एक अभिन्न अंग होगा।

“रियायत पानेवाला”शब्द उस व्यक्ति/ इकाई को संदर्भित करता है जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग के निर्माण, रखरखाव और टोल का अधिकार दिया गया है।

***"****राष्ट्रीय राजमार्ग****" से तात्पर्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से है जहां ईटीसी कार्यक्रम सक्रिय हैं।***

"टैग**" से तात्पर्य बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा जारी प्री-पेड फास्टैग है।**

"टैग खाता**" से तात्पर्य निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार टैग के इस्तेमाल हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र में टैग सदस्य के नाम पर खोले गए खाते से है।**

**"टैग सदस्य/ सदस्यों" से तात्पर्य, वह व्यक्ति या कॉर्पोरेट से है जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार टैग हेतु आवेदन करता है और जिसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा टैग जारी किया जाता है तथा जो टैग को धारण करने एवं इस्तेमाल करने हेतु प्राधिकृत है।**

"टैग वेबसाइट" **से तात्पर्य** https://www.bankofmaharashtra.in, से है, जिसका **स्वामित्व, संचालन और रखरखाव बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास है।**

"टोल प्लाजा" **से तात्पर्य ऐसे प्रतिष्ठानों से है जिनका रखरखाव अवस्थितिनुसार रियायत पानेवालों द्वारा किया जाता है और उपयोगकर्ताओं द्वारा राजमार्ग का उपयोग करने के लिए वाहन पर लागू टोल राशि का भुगतान करना आवश्यक होता है।**

"संव्यवहार" **से तात्पर्य टैग सदस्य/ सदस्यों द्वारा अनुमत नियम व शर्तों के अधीन किए गए टैग संव्यवहार/ संव्यवहारों से है; जिसमें टैग में निधियों की लोडिंग या री-लोडिंग; टैग शेष की इनक्वायरी और/ या इसीप्रकार के अन्य उपयोग शामिल हैं किंतु यहीं तक सीमित नहीं हैं क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा समय-समय पर लिखित रूप में अनुमति प्रदान की जा सकती है।**

विवरण/ विवरणों" **से तात्पर्य टैग सदस्य/ सदस्यों द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को उपलब्ध कराई गई ई-मेल आईडी पर टैग सदस्य/ सदस्यों को प्रेषित संप्रेषण से है जिसमें तिमाही आधार पर किए गए परस्पर संव्यवहार और टैग खाते में उपलब्ध शेष का उल्लेख होता है।**

**"**कस्टमर केयर**" से तात्पर्य टैग सदस्य/ सदस्यों को टैग से संबंधित किसी क्वायरी के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा दिन-भर उपलब्ध कराई जानेवाली दूरभाष ग्राहक सेवा सुविधा से है।**

1. *शर्तों की प्रयोज्यता*

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र के अनुसार टैग के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय या संव्यवहार करते समय या फार्म में टैग को स्वीकार करते समय ऐसा मान लिया जाता है कि टैग सदस्यों को बिना शर्ते नियम और शर्तें मंजूर व स्वीकार्य हैं।

1. *टैग जारी करना*

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबंधित नियम व शर्तों को स्वीकार करते हुए ग्राहक द्वारा टैग के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर और ग्राहक की अनुमति होने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ग्राहक के लिए टैग जारी कर सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा इन आवेदनों और अन्य संव्यवहारों का अभिलेख उपयुक्त रूप से रखा जाएगा।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा टैग सदस्यों को जारी टैग को बैंक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अनिवार्य रूप से टैग सदस्य के लाइसेंस प्लेट नंबर वाले उसी वाहन पर चिपकाना चाहिए जिसका उल्लेख टैग सदस्य द्वारा आवेदन में किया गया है। टैग का हस्तांतरण नही किया जा सकता और उसका इस्तेमाल केवल उसी वाहन के लिए किया जा सकता है जिसके ऊपर बैंक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा टैग चिपकाया गया हो।

टैग जारी करने के लिए आवेदन करते समय, टैग सदस्यों द्वारा टैग शुल्क के रूप में रू. 150/- + उगाही योग्य माल और सेवा कर (जीएसटी) + वाहन के प्रकार के अनुसार प्रतिभूति जमा और अधिकतम रू. 1,00,000 (रूपए एक लाख मात्र) या बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा आंतरिक और लागू विनियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित इसी प्रकार की अन्य सीमा का भुगतान करना आवश्यक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा टैग को सक्रिय किए जाने तक टैग को उसके बाद न तो रीलोड (आगामी नकदी लोड) किया जा सकता है और न ही टैग सदस्यों द्वारा शुरूवाती लोडेड निधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

टैग के सक्रियकरण के बाद टैग को अधिकतम रूपए एक लाख मात्र (1,00,000) की टैग राशि के अधीन रीलोड किया जा सकता है। टैग पर नकदी के माध्यम से अपलोड करने की सीमा प्रति संव्यवहार रू. 5000/- तक सीमित है। टैग धारक द्वारा किसी भी समय टैग खाते में उपलब्ध राशि की सीमा तक ही टैग का इस्तेमाल किया जा सकता है।

बैंक द्वारा आवेदन को अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद और टैग सदस्य द्वारा टैग पर न्यूनतम राशि लोड किए जाने पर टैग सक्रिय हो जाएगा। टैग प्राप्त करने के लिए टैग सदस्यों द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देय लागू प्रभारों/ शुल्कों आदि की कटौती के बाद ये निधियां टैग पर लोड की जाएंगी।

टैग धारक द्वारा इन नियमों व शर्तों के साथ-साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा टैग के संबंध में समय-समय पर जारी सभी नीतियों का अनुपालन अनिवार्य है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र विवेकाधिकार से किसी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है और टैग सदस्य को टैग जारी करने से मना कर सकता है।

1. *टैग की विशेषताएं*

टैग का इस्तेमाल राजमार्ग के टोल प्लाजा द्वारा उपलब्ध कराए गए ईटीसी लेन में सहभागी टोल प्लाजा पर लागू टोल का भुगतान (प्रासंगिक प्राधिकारियों द्वारा जिसकी मांग की गई हो) करने के लिए किया जा सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा समय-समय पर सहभागी टोल प्लाजा की सूची टैग वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी। टैग पर उपलब्ध/ लोडेड राशि पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

टैग सदस्य को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे टैग वेबसाइट के माध्यम से टैग को रीलोड कर सकें। टैग सदस्य द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए।

टैग सदस्य बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य किसी अनिवार्य आवश्यकताओं और अपनी पहचान की जांच करने के बाद और/ या उन्हें उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से टैग वेबसाइट पर लॉगिन करके टैग सदस्यों के लिए उपलब्ध भुगतान गेटवे का इस्तेमाल करते हुए प्वाइंट ऑफ सेल पर टैग को लोड और रीलोड कर सकते हैं। गैर-टैग सदस्य भी बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य किसी अनिवार्य आवश्यकताओं और अपनी पहचान की जांच करने के बाद प्वाइंट ऑफ सेल पर टैग में निधि को रीलोड कर सकते हैं। न्यूनतम राशि, अधिकतम राशि, वार्षिक भार सीमा और लोडिंग और पुनः लोडिंग की बारंबारता की सीमाओं का निर्धारण बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। नकदी लोडिंग/ रीलोडिंग सुविधा योग्य लागू शुल्क (शुल्कों) के अधीन है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा सक्रियकरण करने के बाद टैग पर लोड निधियां टैग सदस्यों के इस्तेमाल हेतु तत्काल उपलब्ध होंगी।

1. *टैग खो जाना या चोरी हो जाना*

टैग के खो जाने या चोरी हो जाने पर, टैग सदस्य द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दायर करनी चाहिए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा अनुरोध किए जाने पर उसकी एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए। टैग के खोने/ चोरी हो जाने पर उसकी रिपोर्ट तत्काल टैग सदस्य द्वारा टेलीफोन पर कस्टमर केयर को देनी चाहिए और/ या कियोस्क के समक्ष शिकायत दर्ज करनी चाहिए। कस्टमर केयर सेल द्वारा पर्याप्त जांच करने के पश्चात् टैग को हॉटलिस्ट/ रद्द/ निलंबित कर देना चाहिए और टैग सदस्य के अनुरोध पर कार्यदिवस के कार्य समय के दौरान उससे संबंधित सभी सुविधाओं को समाप्त कर देना चाहिए और इस संबंध में टैग सदस्य को हुई असुविधा के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। टैग सदस्य को इस तथ्य को संज्ञान में लेना चाहिए कि एकबार टैग के खो जाने, या चोरी हो जाने की रिपोर्ट करने के बाद यदि वह बाद में मिल जाता है तो उसे तुरंत आधा काट दिया जाए और उसे गलत प्रयोग से बचाने हेतु पर्याप्त कदम उठाए जाएं। टैग की सुरक्षा की जिम्मेदारी टैग सदस्य की है और उसे सुरक्षित रखने सुनिश्चित करने हेतु उचित सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। टैग के खो जाने/ चोरी हो जाने की रिपोर्ट किए जाने तक टैग पर लगाए गए सभी प्रभारों के लिए टैग सदस्य उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में बैंक ऑफ महाराष्ट्र निर्धारित करता है कि उपर्युक्त कदम का अनुपालन नहीं किए जाने पर टैग के खो जाने/ चोरी हो जाने की वित्तीय देयता टैग सदस्य की होगी। टैग पर किए गए संव्यवहार और/ या रिपोर्टिंग के समय या उक्त टैग से संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में विवादित संव्यवहार का समय और/ या प्रमाणिकता का निर्धारण करने का अधिकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास सुरक्षित है।

टैग सदस्य द्वारा यह दावा करने के बाद कि उसने टैग को नष्ट कर दिया है, यदि टैग से संव्यवहार होता है तो, टैग पर लगाए गए ऐसे सभी प्रभारों हेतु टैग सदस्य पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा तथा किसी भी स्थिति में उसके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र को जिम्मेदार नहीं होगा।

1. *टैग का अभ्यर्पण/ प्रतिस्थापन*

टैग सदस्यों को जारी टैग बैंक ऑफ महाराष्ट्र की संपत्ति बनी रहेगी और अनुरोध किए जाने पर उसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जमा करना होगा। टैग सदस्य द्वारा टैग की आवश्यकता न होने पर उसे लौटाने या किसी कारणवश बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा सेवाओं को वापस लिए जाने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र को टैग वापस लौटाने की जिम्मेदारी टैग सदस्य की होगी।

*टैग के खो जाने की स्थिति में, टैग सदस्य द्वारा कस्टमर केयर को कॉल कर (टॉल फ्री) टैग को ब्लॉक किया जा सकता है/ और कार्ड को ब्लॉक करने हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान की जा सकती है तथा इस संबंध में “टैग खो जाना या चोरी हो जाना” नामक क्लाउज के अंतर्गत विशेष रूप से जानकारी उपलब्ध है।*

एकबार टैग के खो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट किए जाने के बाद, पुनः उसके मिलने के बावजूद भी उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकता। यदि टैग सदस्य द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उन्होंने टैग के खो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट की है और उसके बाद यदि वह पुनः मिल जाता है तो टैग सदस्य की जिम्मेदारी होगी कि वह उस टैग को बैंक ऑफ महाराष्ट्र को वापस लौटाए। इसी प्रकार, यदि टैग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यह टैग सदस्य की जिम्मेदारी होगी कि वह क्षतिग्रस्त टैग को बैंक ऑफ महाराष्ट्र को वापस लौटाए ताकि टैग खाते को बंद किया जा सके।

टैग सदस्य की मृत्यु हो जाने एवं उसकी सूचना मिलने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र उस टैग को रद्द कर देगा। बैंक की नीति/ प्रक्रिया के अनुसार टैग सदस्य के उत्तराधिकारी टैग पर उपलब्ध शेष को प्राप्त कर सकते हैं।

1. *अवधि समाप्त और समापन*

टैग जारी होने के दिनांक से पांच वर्षों तक वैध है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र किसी भी समय अपने विवेकाधिकार से नोटिस देकर या बिना नोटिस दिए टैग को समाप्त/ रद्द कर सकता है।

यदि ऋणात्मक शेष राशि के साथ 6 माह की अवधि तक टैग खाता अप्रयुक्त रहता है तो टैग सदस्य को पूर्व सूचना देने के बाद टैग खाते को बंद कर दिया जाएगा और संबंधित टैग किसी भी टोल प्लाजा पर टोल के भुगतान हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टैग के रद्द होने के बाद के विवरण में परिलक्षित या अपरिलक्षित उस समय के बकायों के कुल प्रभारों तथा रद्द होने के बाद की प्रभारित राशि तत्काल बकाया हो जाएगी और परिलक्षित अनुसार टैग सदस्य द्वारा देय हो जाएगी और उसपर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नीतियों के अनुसार लागू ब्याज लगाया जाएगा।

टैग के समापन से पूर्व तक टैग पर लगाए गए सभी प्रभारों के लिए टैग सदस्य बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी बने रहेंगे।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिकॉर्ड के अनुसार टैग सदस्य के ई-मेल आई-डी/ मेल पते पर टैग को जमा करने का अनुरोध/ टैग के समापन की सूचना प्रेषित कर देने पर उसे प्रदत्त माना जाएगा। अनुरोध किए जाने पर टैग सदस्य या उसके प्रतिनिधि द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को टैग वापस लौटा देना चाहिए। टैग के रद्द होने की सूचना के बाद टैग सदस्य टैग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

1. *प्रयोग दिशानिर्देश*

उक्त टैग केवल भारत में वैध है और केवल भारतीय रूपए में इसके द्वारा भुगतान किया जा सकता है। टैग सदस्य द्वारा हमेशा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि टैग को सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है और किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को इसके इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा उपलब्ध कराई गई समग्र सुविधाओं और संबंधित प्रभारों हेतु टैग सदस्य उत्तरदायी होंगे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा टैग के साथ किए गए सभी संव्यवहारों के प्रति सद्भाव रखेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र किसी कंसेसियनार द्वारा लगाए गए किसी अधिभार और संव्यवहार राशि के साथ टैग पर उपलब्ध राशि की निकासी हेतु किसी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करता। टैग सदस्य द्वारा टैग के खो जाने, चोरी हो जाने या धोखे से गलत इस्तेमाल को छोड़कर टैग की सहायता से सहयोगी टोल प्लाजा पर किए गए किसी संव्यवहार इस बात के निर्णायक प्रमाण होंगे कि इसप्रकार के अनुरोध पर राशि हेतु दर्ज किए गए प्रभार उचित रूप से लगाए गए हैं और उसे प्रमाणित करने का भार टैग सदस्य पर होगा।

टैग की सहायता से अन्यथा के अतिरिक्त किए गए सभी संव्यवहारों की जिम्मेदारी टैग सदस्य की होगी। टैग सदस्य द्वारा प्रतिभागी टोल प्लाजा पर टैग का इस्तेमाल करते समय हर बार वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र को संव्यवहार की राशि तक टैग खाते में उपलब्ध निधि से आहरण का प्राधिकार प्रदान करता है। टैग सदस्य को एक या एकाधिक संव्यवहारों के माध्यम से टैग खाते में उपलब्ध राशि को पार करने की अनुमति नहीं है। तथापि, यदि टैग खाते में उपलब्ध निधि शेष से संव्यवहार अधिक होने पर, संव्यवहार की राशि हेतु टैग सदस्य बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी होगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास किसी ऋणात्मक शेष के लिए टैग सदस्य को बिल करने का अधिकार सुरक्षित है। टैग सदस्य ऋणात्मक शेष के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र को तत्काल भुगतान करने की मंजूरी प्रदान करता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास टैग को रद्द/ समाप्त करने के बाद टैग सदस्य द्वारा टैग के साथ एक या एकाधिक ऋणात्मक शेष निर्मित करने का भी अधिकार सुरक्षित है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास बिना कारण बताए टैग पर संव्यवहार अनुरोध को अस्वीकार करने का एकाधिकार है।

1. *समापन*

टैग सदस्य किसी भी समय किसी भी प्वाइंट ऑफ सेल को भेंट देकर और इस संबंध में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नीति/ प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करके टैग खाते को बंद करने का अनुरोध कर सकता है। टैग सदस्य द्वारा टैग को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के पास प्रस्तुत कर देना आवश्यक है। इसके पश्चात्, संबंधित टैग खाते में उपलब्ध शेष राशि को (यदि कोई हो) समापन अनुरोध के दिनांक से 15 दिनों के भीतर टैग सदस्य के बैंक खाते में जमा की जाएगी। ऋणात्मक शेष के मामले में, टैग सदस्य को सर्वप्रथम बकाया राशि जमा करनी होगी, उसकी पश्चात् टैग के समापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

1. *विवरण एवं अभिलेख*

टैग सदस्य ग्राहक सेवा को फोन करके अपने टैग में उपलब्ध शेष राशि की जानकारी ले सकते हैं। टैग सदस्य को प्रत्येक संव्यवहार के पश्चात् बैंक के साथ अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक छोटा संदेश भी प्राप्त होगा जिसमें संव्यवहार मूल्य की जानकारी होगी। टैग खाते के किसी संव्यवहार/ ब्योरे में किसी प्रकार की अनियमितता या विसंगतियों की जानकारी टैग सदस्य द्वारा 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देनी चाहिए। यदि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 30 दिनों के भीतर इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि संव्यवहार उचित हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा टैग सदस्य की जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या दस्तावेज के रूप में रखा जाता है और इसप्रकार नियम व शर्तों के अनुसरण में टैग सदस्य के विरूद्ध अन्य ब्योरों (सहित, किंतु किए गए या प्राप्त भुगतान तक सीमित नहीं) को ऐसे निर्देशों और इस प्रकार के अन्य विवरणों हेतु निर्णायक साक्ष्य माना जाएगा।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा टैग सदस्य को संव्यवहार के संबंध में संव्यवहार पर्ची की प्रतियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है और टैग सदस्य को केवल बैंक के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर लघु संदेश के माध्यम से संव्यवहार अलर्ट प्राप्त होगा।

1. *देयताओं से अपवर्जन*

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा टैग सदस्य को टैग की सुविधा प्रदान करने के फलस्वरूप, टैग सदस्य द्वारा एतदद्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को क्षतिपूर्ति करने और सभी कार्रवाइयों, दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानि, क्षति, व्यक्तिगत चोट, लागत, प्रभार और व्यय जो भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को किसी भी समय करना, वहन, नुकसान उठाना पड़े या टैग सदस्य को टैग की उक्त सुविधा प्रदान करने या बैंक के अच्छे विश्वास में काम करने के कारण या टैग सदस्य के निर्देशों को मानने से इंकार या चूक करने और विशेष रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से टैग सदस्य की लापरवाही, चूक या कदाचार के कारण; टैग से संबंधित नियमों/नियमों और शर्तों का उल्लंघन या गैर-अनुपालन करने और/या टैग सदस्य द्वारा किसी भी लेन-देन से संबंधित धोखाधड़ी या बेईमानी की क्षतिपूर्ति करना स्वीकार करता है।टैग सदस्य द्वारा कार्ड के भूल जाने से हुई संपूर्ण हानि के लिए भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित में से किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि या क्षति के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैग सदस्य के प्रति कोई देयता नहीं होगी:

* + *किसी अन्य पक्ष द्वारा आपूर्ति की गई सेवाओं या उत्पादों की गुणवत्ता में कोई कमी।*
	+ *टैग को ऑनर करने या स्वीकार करने से किसी व्यक्ति द्वारा इनकार करना।*
	+ *किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की खराबी।*
	+ *टैग सदस्य द्वारा बैंक परिसर या प्वॉइंट ऑफ सेल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नामित कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य को टैग लौटाना।*
	+ *बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए टैग की अवधि समाप्ति के पूर्व टैग की मांग करना एवं उसे प्राप्त करना, क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र या किसी प्राधिकृत व्यक्ति या कंप्यूटर टर्मिनल द्वारा इस प्रकार की मांग और/ या प्राप्ति की गई है।*
	+ *बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा टैग को समाप्त करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना।*
	+ *टैग के पुनरधिकार और/ या उसके वापस लौटाने के अनुरोध या किसी टोल प्लाजा पर टैग को स्वीकार करने या सकारने से मना करने के कारण टैग सदस्य की सम्पत्ति, प्रतिष्ठा और सम्मान को क्षति पहुंचना।*
	+ विधि द्वारा आवश्यक के अतिरिक्त, यदि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कोई प्रोसेस, समन, आदेश, *निषेधाज्ञा, निष्पादन की गड़बड़ी*, *लेवी ग्रहणाधिकार*, जानकारी या सूचना प्राप्त होती है जिसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र *सद्भाव* में/ टैग पर संव्यवहार हेतु *टैग सदस्य द्वारा अधिकृत किए जाने वाले किसी व्यक्ति की योग्यता,* *टैग सदस्य की क्षमता पर सवाल उठाता है,* बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपने विकल्प के अनुसार और टैग सदस्य या ऐसे किसी व्यक्ति की देयता के बिना टैग सदस्य को अपनी निधि के कुछ हिस्से की निकासी के लिए मना कर सकता है या समुचि*त प्राधिकारी को इस तरह के धन का भुगतान कर सकत*ा है और लागू विधि के अनुसार कोई अन्य कदम उठा सकता है। टैग सदस्य के टैग के सम्मिलित होने पर विधिक कार्रवाई के कारण विधिशुल्क *क*ी किसी सीमा के बिना सेवा प्रभार और किसी अन्य व्यय पर उपलब्ध शेष से कटौती करने का अधिकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास सुरक्षित है।

किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा टैग या किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्य को वापस करने का अनुरोध वाला कथन।

* + *यदि बैंक ऑफ महाराष्ट्र या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बदले कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा टैग सदस्य से बकायों के निबटान हेतु मांग या दावा किया जाता है तो, टैग सदस्य द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी और इस तरह की मांग को स्वीकार किया जाएगा या उसे मानहानी या अधिनियम पूर्वाग्रही या किसी प्रकार से आचरण की प्रस्तुति नहीं समझा जाएगा।*
	+ *टैग का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता और यह वाहन लाइसेंस प्लेट के समान वाहन के लिए अनन्य है तथा उसे जारी करने के समय वाहन पर लगाना अनिवार्य है तथा उसमें ग्राहक द्वारा अपने टैग के लिए भुगतान की गई राशि लोड होनी चाहिए। आपको जारी किया गया टैग केवल भारत में वैध है और इससे टोल प्लाजा पर केवल भारतीय मुद्रा में भुगतान किया जा सकता है तथा इसे केवल इस कार्यक्रम में सम्मिलित टोल प्लाजा पर ही स्वीकार किया जाएगा। टैग पोर्टल पर प्रतिभागी टोल प्लाजा की सूची समय-समय पर अद्यतित की जाएगी।*
	+ *टैग बैंक ऑफ महाराष्ट्र की संपत्ति है। यह यहां उल्ल्खित नियमों व शर्तों तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगा। टैग जारी किए जाने के बाद टैग सदस्य द्वारा वाहन पर तुरंत टैग लगाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।*
1. *उल्लंघन और समाप्ति/ निकासी*

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा टैग सदस्य से सभी बकाया राशि की मांग किए जाने पर टैग सदस्य बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

1. *प्रभार*

टैग को रखने एवं इस्तेमाल करने हेतु शुल्क लगेगा जिसकी निकासी टैग खाते में उपलब्ध शेष से की जाएगी। प्रभारों का ब्यौरा अनुबंध I में संलग्न है। उक्त शुल्क प्रत्यर्पणीय नहीं हैं।

टैग को इस्तेमाल करने के कारण लगाए गए किसी सरकारी प्रभारों, ड्य़ूटी या डेबिट, या देय कर की जिम्मेदारी टैग सदस्य की होगी और यदि उसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर (प्रत्यक्ष या परोक्ष) लगाया जाता है तो बैंक इसप्रकार के प्रभारों, ड्यूटी या कर के लिए टैग में उपलब्ध शेष को नामे करेगा। ऐसी सुविधाओं हेतु बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित अलग से प्रभार लगाया जाएगा और कटौती टैग पर उपलब्ध शेष से की जाएगी। ऐसे शुल्कों की कटौती हेतु टैग पर उपलब्ध शेष पर्याप्त न होने की स्थिति में, आगे के संव्यवहारों को अस्वीकार करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है। टैग सदस्य अपने टैग पर उपलब्ध शेष से कटौती हेतु और टैग के संबंध में टैग सदस्य से उस पर बकाया (इसमें बिना किसी सीमा के उचित कानूनी शुल्क शामिल हैं) धन इकट्ठा करने में असमर्थ होने पर क्षतिपूर्ति हेतु भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्राधिकृत करता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा टैग के इस्तेमाल हेतु इन नियमों व शर्तों को अपडेट कर सेवा एवं अन्य प्रभार लगाए जा सकते हैं, जिसकी सूचना समय-समय पर टैग सदस्य को प्रदान की जाएगी। टैग सदस्य बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा समय-समय पर निर्धारित टैग से संबंधित सभी प्रभारों की वसूली हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र को टैग में उपलब्ध शेष को नामे करने हेतु प्राधिकृत करता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा निर्धारित लागू शुल्क और प्रभारों का ब्यौरा वेबसाइट और/ या प्वाइंट ऑफ सेल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

1. *विवाद*

किसी संव्यवहार के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत या प्रश्न होने पर, टैग सदस्य कस्टमर केयर नंबर 1800-233-4526/ 1800-1022-636 (टोल फ्री) पर कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी संव्यवहार के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में टैग सदस्य संव्यवहार दिनांक से 30 दिनों के भीतर बैंक ऑफ महाराष्ट्र को सूचित कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा मान लिया जाएगा कि सभी प्रभार ऑडर में हैं और टैग सदस्य को स्वीकार्य हैं।

शिकायत/ प्रश्न की जांच करने और उत्तर देने में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को सक्षम बनाने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा मांगी गई जानकारी को टैग सदस्य द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। कृपया नोट करें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ग्राहक से किसी प्रकार की गोपनीय जानकारी की मांग नहीं करता, अतः टैग सदस्य/ सदस्यों द्वारा यूजर आईडी, पासवर्ड आदि सहित गोपनीय प्रकृति की जानकारी हमारे साथ साझा नहीं करनी चाहिए।

हमारी शिकायत प्रक्रिया के संबंध में संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया हमारे बैंक की वेबसाइट देखें। ग्राहक सेवा नंबर की अद्यतित जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा असहमति की सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर संव्यवहार से असहमत टैग सदस्य की समस्याओं के समाधान हेतु बोनाफाइड और तर्कसंगत प्रयास करने चाहिए। यदि ऐसे प्रयास करने के बावजूद बैंक ऑफ महाराष्ट्र मानता है कि उल्लिखित संव्यवहार उचित हैं, तो उसकी जानकारी टैग सदस्य को प्रदान की जाएगी।

एकबारगी टैग जमा राशि (प्रत्यर्पणीय):

अनुबंध I

लागू प्रभार

|  |  |
| --- | --- |
| *ब्यौरा* | *राशि* (*रू.*) |
| *टैग जारी शुल्क* | 150 |

1. *माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू दरों पर सभी निर्धारित शुल्क और प्रभारों पर लगाया जाएगा।*
2. *ऑनलाइन रिचार्ज के लिए सुविधा शुल्क लागू होगा।*
3. *उपर्युक्त उल्लिखित प्रभार परिवर्तन के अधीन हैं। कृपया नवीनतम प्रभारों के लिए* [www.bankofmaharashtra.com](http://www.bankofmaharashtra.com) *को भेंट दें।*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *वाहन वर्ग* | *ब्योरा* | *टैग जमा* ***(****रू****.)*** | *प्रारंभिक राशि****(****रू****.)***  |
| 1 | *कार/जीप/वैन* | 200.00 | 200.00 |
| 2 | *हल्के वाणिज्यिक वाहन* 2 *-ऐक्सेल* | 300.00 | 140.00 |
| 3 | *बस* 2*-ऐक्सेल* | 400.00 | 300.00 |
| 4 | *बस* 3*-ऐक्सेल* | 400.00 | 300.00 |
| 5 | *मिनी-बस* | 400.00 | 300.00 |
| 6 | *ट्रक* 2 *- ऐक्सेल* | 400.00 | 300.00 |
| 7 | *ट्रक* 3 *- ऐक्सेल* | 500.00 | 300.00 |
| 8 | *ट्रक* 4 *- ऐक्सेल* | 500.00 | 300.00 |
| 9 | *ट्रक* 5 *- ऐक्सेल* | 500.00 | 300.00 |
| 10 | *ट्रक* 6 *- ऐक्सेल* | 500.00 | 300.00 |
| 11 | *ट्रक मल्टी ऐक्सेल (*7 *एवं उससे अधिक)* | 500.00 | 300.00 |
| 12 | *अर्थ मूविंग मशीनरी* | 500.00 | 300.00 |
| 13 | *भारी निर्माण मशीनरी* | 500.00 | 300.00 |
| 14 | *टाटा ऐस और इसीप्रकार के मिनी लाइट वाणिज्यिक वाहन* | 200.00 | 100.00 |

नोट: उपर्युक्त उल्लिखित टैग जमा दरें आपके वाहन के क्लास पर निर्भर होगी और महाराष्ट्र फास्टैग खाता बंद होने के समय उसे आपको वापस लौटा दिया जाएगा।

 ***घोषणापत्र*** *Declaration*

मैं घोषणा करता हूं, पुष्टि करता हूं और सहमत हूं कि:

1. *मैं उत्पाद पुस्तिका और वेबसाइट* [www*.*bankofmaharashtra*.*in](http://www.bankofmaharashtra.in) *में उल्लिखित महाराष्ट्र फासटैग के लिए लागू नियम व शर्तों को समझता हूं और एतद् द्वारा उससे सहमति व्यक्त करता हूं। मैं समझता हूं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र टैग के लिए लागू नियमों व शर्तों तथा अनुसूची में किसी भी प्रकार के परिवर्तन/ अपडेट की जानकारी केवल* www.bankofmaharashtra.in *पर उपलब्ध होगी और मैं एतद् द्वारा सहमत हूं कि मैं इन नियमों व शर्तों में किए गए किसी भी परिवर्तन और समय-समय पर* www.bankofMaharashtra.com *पर अपडेट किए गए प्रभारों की अनुसूची से स्वयं को अपडेट रखूंगा।*
2. *आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण और जानकारी (और संदर्भित या प्रदान किए गए सभी दस्तावेज) वास्तविक, उचित, पूर्ण और सभी प्रकार से अद्यतित हैं तथा मैंने किसी भी जानकारी में बदलाव नहीं किया है। मैं सहमत हूं और घोषणा करता हूं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा समय-समय पर मांगी गई आवश्यक जानकारी प्रदान करूंगा।*
3. *मुझे ज्ञात है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास बिना कारण बताए मेरे आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है। अतः मुझे ज्ञात है और मैं सहमत हूं
कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास आवेदन तथा साथ में प्रस्तुत दस्तावेजों को धारण करने का अधिकार सुरक्षित है और वह उसे मुझे वापस नहीं लौटाएगा।*
4. *मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्राधिकृत करता हूं कि इस आवेदन से संबंधित जानकारी जिसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र आवश्यक समझता है, के लिए संदर्भ ले सकता है और पड़ताल कर सकता है।*
5. *अपने आवेदन फार्म में उपलब्ध कराई गई जानकारी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तत्काल बैंक ऑफ महाराष्ट्र को दूंगा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा समय-समय पर मांगी गई आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराउंगा।*
6. *मैं अपने आवेदन के संबंध में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्राधिकृत करता हूं कि वह उसकी पूरी या आंशिक जानकारी, डाटा या दस्तावेज अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थानों/ क्रेडिट ब्यूरो/ एजेंसियों/ सांविधिक निकायों या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कर सकता है जिसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र उक्त जानकारी/ डाटा की प्रोसेसिंग या उपयोग के लिए आवश्यक/ उचित समझता है और उस जानकारी के इस्तेमाल/ साझा के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र या अन्य पक्ष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।*
7. *मैं बिना शर्त एवं अटल रूप से बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्राधिकृत करता हूं कि वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र टैग (“नियम व शर्ते”, “प्रभारों की अनुसूची” और “उत्पाद लीफलेट*”) *के लिए लागू प्रासंगिक शुल्कों एवं प्रभारों को मेरे बैंक ऑफ महाराष्ट्र टैग खाते में उपलब्ध निधि से आहरित कर सकता है।*